राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैंच सं. 17
(न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर)

सत्य दीप सिंह पुत्र उदयलाल जाति बिश्नोई निवासी लूणेवाला(30 पीएस ए) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

भूप सिंह पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी लूणेवाला(30 पीएस ए) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र सं. 28/2021 सीसीएमएस आईडी 2021/341
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट

14.05.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैंच सं. 17 के समक्ष पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि चक 30 पीएस ए के खाता सं. 62 प.नं. 243/295 मु.नं. 38 कि.नं. 11 व 12 की कुल 0.506है. नहरी खाता सं. 63 प.नं. 243/295 मु.नं. 38 कि.नं. 13 ता 25/2 की कुल 3.289है. में पंहुच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी की भूमि चक चक 30 पीएस ए के प.नं. 243/295 मु.नं. 38 कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि कुल 0.050है. पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। तथा निवेदन किया कि आवेदक मुआवजा के तौर पर भूमि के बदले अनावेदक की भूमि के चिपते भूमि देने को तैयार हैं।

अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में दिनांक 28.09.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अनावेदक की भूमि 30 पीएस ए मु.नं. 38 कि.नं. 1–10 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने से आवेदक को आसानी से अपनी जोत में पंहुच हो सकेगी। अनावेदक ने अपने रकबा में से प्रार्थी को आने जाने के लिए रास्ता दे रखा हैं, जो स्वीकृत कर दिया जाता हैं तो अनावेदक को कोई एतराज नहीं हैं अनावेदक रास्ता देने के लिए पूर्ण सहमत व रजामन्द हैं। और आवेदक से रास्ता की भूमि के बदले मुआवजा में आवेदक से चिपते भूमि आवेदक की भूमि चक 30 पीएस ए मु.नं. 38 कि.नं. 12 ता 15 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा कुल 4 बिस्वा यानि 0.050हैं भूमि उतरी पासा प्राप्त करना चाहता हैं।

प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2022/1728 दिनांक 14.05.2022 अनुसार चाहा गया रास्ता मु.नं. 31 के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता से निकटतम दूरी पर हैं। मौके पर अप्रार्थी द्वारा सहमति जताई हैं। अतः आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

वकील प्रार्थी निवेदन किया हैं कि वे रास्ता के बदले भूमि देने हेतु तैयार हैं, रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा आपके प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित सहमति आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpit
Date: 2022.07.05 15:33
Reason: SelfAttested

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की भूमि चक 30 पीएस ए के प.नं. 243/295 मु.नं. 38 कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि कुल 0.050है. पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले मुआवजा के तौर पर अप्रार्थी को उसके चिपती अपनी खातेदारी भूमि चक 30 पीएस ए प.नं. 243/295 मु.नं. 38 कि.नं. 12 ता 15 प्रत्येक में 1 बिस्वा उतरी पासा भूमि कुल 0.050है. भूमि अप्रार्थी को देगा। तहसीलदार रायसिंहनगर इसी अनुसार स्वीकृतशुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा प्रार्थी के रकबा में से भूमि कम करते हुए अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज करें।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत